2019 का विधेयक संख्यांक 3

[दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूल्ड ट्राइब्स) आर्डर (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2019

असम राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन ।

2. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 2 -- असम में, पैरा 2 में, प्रविष्टि 14 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-- सं0आ0 22

"15. सुतिया
16. मटक
17. मोरन
18. कोच राजभोंगशी
19. ताई अहोम
20. माल पहरिया
21. कवार
22. लोधा
23. बेगा
24. नागासिया
25. भील
26. गोराइत
27. हलबा
28. मजवार
29. धनवार
30. असुर
31. प्रधान
32. खोंड
33. कोरवा
34. खेरवार
35. चेरो
36. कोया
37. बिरहोर
38. परजा
39. मिरधा
40. किशान
41. चिक बराइक
42. कोल
43. सओरा
44. बिरजिया
45. दामदरी

46. बोंडा
47. माहली
48. शबर
49. खरिया
50. गोंड
51. मुन्डा
52. उरांव
53. बेदिया
54. संथाल
55. भूमिज ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (25) में "ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है" के रूप में परिभाषित किया गया है ।

2. संविधान का अनुच्छेद 342 निम्नलिखित उपबंध करता है :--

"342. अनुसूचित जनजातियां–(1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा ।

(2) संसद्, विधि द्वारा, किसी जनजातियों या जनजाति समुदायों को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।"।

3. संविधान के अनुच्छेद 342 के उपबंध के अनुसार, असम राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की पहली सूची को, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 द्वारा अधिसूचित किया गया था । असम की अनुसूचित जनजातियों की सूची को, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा उपांतरित किया गया है ।

4. वर्तमान में असम राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में आने वाले समुदायों और पर्यायों की संख्या अठहत्तर है ।

5. असम राज्य की सिफारिश के आधार पर, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 2 -- असम में, पैरा 2 में, प्रविष्टि 14 के पश्चात्, निम्नलिखित समुदायों को सम्मिलित करने का विनिश्चय किया गया है, अर्थात् :--

"15. सुतिया

16. मटक

17. मोरन
18. कोच राजभोंगशी
19. ताई अहोम
20. माल पहरिया
21. कवार
22. लोधा
23. बेगा
24. नागासिया
25. भील
26. गोराइत
27. हलबा
28. मजवार
29. धनवार
30. असुर
31. खोंड
32. कोरवा
33. खेरवार
34. चेरो
35. कोया
36. बिरहोर
37. परजा
38. मिरधा
39. किशान
40. चिक बराइक
41. कोल
42. सओरा
43. प्रधान
44. बिरजिया
45. दामदरी
46. बोंडा
47. माहली
48. शबर

49. खरिया

50. गोंड

51. मुन्डा

52. उरांव

53. बेदिया

54. संथाल

55. भूमिज ।"।

6. इसलिए, पैरा 5 में उल्लिखित समुदायों को अनुसूचित जनजाति प्रास्थिति प्रदान करने के लिए, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के असम राज्य से संबंधित भाग 2 का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

7. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
8 जनवरी, 2019.

जुएल ओराम

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक, असम की अनुसूचित जनजातियों की सूची को निम्नलिखित रूप में संशोधित करके संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन करने के लिए है :--

"1. कोच राजभोंगशी

2. ताई अहोम

3. सुतिया

4. मटक

5. मोरन

6. माल पहरिया जनजाति

7. कवार जनजाति

8. लोधा जनजाति

9. बेगा जनजाति

10. नागासिया जनजाति

11. भील जनजाति

12. गोराइत जनजाति

13. हलबा जनजाति

14. मजवार जनजाति

15. धनवार जनजाति

16. असुर जनजाति

17. प्रधान जनजाति

18. खौंड जनजाति

19. कोरवा जनजाति

20. खेरवार जनजाति

21. चेरो जनजाति

22. कोया जनजाति

23. बिरहोर जनजाति

24. परज़ा जनजाति

25. मिरधा जनजाति

26. किशान जनजाति

27. चिक बराइक जनजाति

28. कोल जनजाति

29. सओरा जनजाति

30. बिरजिया जनजाति

31. दामदरी जनजाति

32. बोंडा जनजाति

33. माहली जनजाति

34. शबर जनजाति

35. खरिया जनजाति

36. गोंड जनजाति

37. मुन्डा जनजाति

38. उरांव जनजाति

39. बेदिया जनजाति

40. संथाल जनजाति

41. भूमिज जनजाति ।"।

2. असम राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन से असम राज्य में पूर्व उल्लिखित समुदायों से संबंधित व्यक्तियों को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आशयित सतत् स्कीमों में से दिए जाने के लिए संभाव्य फायदों के कारण भारत की संचित निधि से किसी अतिरिक्त आवर्ती व्यय की आवश्यकता नहीं होगी । उक्त व्यय की पूर्ति इस मंत्रालय के वार्षिक योजना और गैर-योजना व्यय में से की जाएगी ।

MGIPMRND—3190RS(CRC)—08-01-2019.